बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2009

सं0 सं0 14/एम 12-05/98-228(14)/ बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन) अधिनियम 2006 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है –

बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य की चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2008 –

1–संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ –(1)यह नियमावली बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य चिकित्सीय परिचर्या नियमावली 2008 कही जायगी।

(2) यह पहली अक्टुबर, 2006 के प्रभाव से प्रवृत समझी जायगी।

2–परिभाषाऐ–जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो इस नियमावली में :–

(क) "सदस्य" से अभिप्रेत है, बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के सदस्य।

(ख) "पूर्व सदस्य" से अभिप्रेत है, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य।

(ग) "विशेषज्ञ चिकित्सक" से अभिप्रेत है सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/ इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राध्यापक या समकक्ष जिनके द्वारा अनुशंसा की गयी हो परन्तु हृदय रोग के मामले में इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक ही विशेषज्ञ चिकित्सक माने जायेंगे।

(घ) सरकारी अस्पताल " से अभिप्रेत है सरकारी अस्पताल अथवा सरकार द्वारा सम्पोषित अस्पताल।

(च) "मान्यता प्राप्त अस्पताल" से अभिप्रेत है वैसे निजी अस्पताल जो बिहार सरकार द्वारा उपचार के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त हो । इसमें सी0जी0 एच0 एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पताल भी सम्मिलित है।

(छ) "सभा" और "परिषद से अभिप्रेत है, क्रमशः" बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद"।

3- हकदारी:- राज्य विधान मंडल के दोनो सदनो के सदस्यो एवं उनपर आश्रित उनके परिवार के सदस्य राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के श्रेणी-I के पदाधिकारियों के समतुल्य चिकित्सा उपचार एवं प्रतिपूर्ति के हकदार होगें । पूर्व सदस्य एवं उनके पति/पत्नी भी इस नियमावली के अधीन उपचार तथा प्रतिपूर्ति की सुविधा के हकदार होगें।

4- राज्य से बाहर उपचार :- (1)किसी गम्भीर बीमारी की दशा में विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुशंसा पर सरकारी अस्पतालों में अथवा राज्य सरकार/सी0जी0एच0 एस0 द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालो में अन्तर्वासी उपचार प्राप्त किया जा सकता है । विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुशंसा पर राज्य के बाहर उपचार के लिए अनुमति देने हेतु सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

(2) हृदयघात, ब्रेन हैमरेज, और गम्भीर सड़क दुर्घटना की दशा में सदस्य/पूर्व सदस्य/ राज्य से बाहर सरकारी या सी0 जी0 एच0 एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार के लिए बिना पूर्वानुमति के प्रस्थान कर सकते है, यदि अत्यंत आपाती स्थिति हो, किंतु यथा संभव शीघ्र आवश्यक सूचना सचिव, बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद, को भेज दी जायगी।

5- राज्य के भीतर उपचार:-राज्य के भीतर सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी चिकित्सा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ सचिव, बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद, उपचार पर उपगत धनराशि सीधे संबंधित सदस्यों/पूर्व सदस्यों को नियम-7 के अनुसार अनुमान्य करेंगें।

6- अग्रिम एवं प्रतिपूर्ति :-(1) यदि सरकारी अस्पतालो या मान्यताप्राप्त अस्पतालो में उपचार कराया गया हो तो अस्पताल के प्राक्कलन के आधार पर अग्रिम प्रतिशत अग्रिम मंजूरी की जायेगी। ऐसे अस्पतालों में उपचार के लिए मंजूर अग्रिम छः माह के भीतर सदस्य/पूर्व सदस्यों द्वारा समायोजित कराया जाएगा । अग्रिम की मंजूरी के पश्चात एक माह के भीतर यदि उपचार आरंभ नही किया जाता है तो ऐसे अग्रिम की पूरी राशि सदस्यो/पूर्व सदस्यों को वापस करनी होगी अन्यथा यह सदस्यों के वेतन /पूर्व सदस्य के पेंशन से समायोजित की जाएगी ।

(2) यदि प्रतिपूर्ति की राशि मंजूर अग्रिम से कम हो तो अंतर की राशि संबंधित सदस्य/पूर्व सदस्य को एक माह के भीतर समायोजन के लिए एक किस्त में जमा करनी होगी।

(3) पूर्व सदस्य को अग्रिम लेते समय खर्च नही किये गये अग्रिम को विहित अवधि के भीतर एक किस्त में वापस करने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा।

7- प्रतिपूर्ति अधिकार:- 2.00 लाख (दो लाख) रूपये तक की मंजूरी देने हेतु वित्त विभाग द्वारा नियुक्त/प्रतिनियुक्त आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से सचिव विधान सभा / विधान परिषद सक्षम होगें। यदि राशि 2 लाख (दो लाख) रूपये से अधिक हो तो विपत्र की जाँच एवं संबंधित अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से अध्यक्ष बिहार विधान सभा/ सभापति बिहार विधान परिषद द्वारा प्रतिपूर्ति मंजूर की जाएगी ।

8- बहिर्वासी चिकित्सा-बर्हिवासी उपचार की सुविधा वही रहेगी जो उन रोगो की दशा मे जिसके लिए बर्हिवासी उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति की जाती है । वैसे रोगो की चिकित्सा के मामले में सदस्य/पूर्व सदस्य स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार के लिये विपत्र अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सचिव बिहार विधान सभा/सचिव बिहार विधान परिषद को देगें। सचिव बिहार विधान सभा/विधान परिषद, सदस्य/ पूर्व सदस्य को राशि मंजूर करेगें।

9- परिचारी:- रोगी के साथ एक परिचारी की स्वीकृति दी जायगी वह उसी श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा।

10-निरसन एवं व्यावृत्ति:-इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से बिहार विधान मंडल के सदस्य /पूर्व सदस्य हेतु प्रवृत चिकित्सीय उपचार नियमावली 2000 निरस्त समझी जायेगी । ऐसे निरसन के होते हुए निरसीत नियमावली के प्रावधानो के अधीन किये गये कुछ भी का या की गयी किसी भी कार्रवाई का पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन बदलाव या किसी भी रीति से प्रभावित नही किया जायगा/की जायेगी मानो उक्त नियमावली निरसित नही की गयी हो।

आदेश :आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राज्य के असाधरण गजट के अगले अंक में सर्व साधरण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22/2/08

(अमरेन्द्र नारायण सिंह)
सरकार के अपर आयुक्त

ज्ञाप सं0 228(14) दिनांक 25/2/08

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना के गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2 इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

25/2/08

सरकार के अपर आयुक्त

ज्ञाप सं0 228(14) दिनांक 25/2/08

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/08

ज्ञाप संख्या 228(14) दिनांक 25/2/08

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव वित्त विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ राज्य पाल सचिवालय, बिहार, पटना/विशेष सचिव मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य मंत्री के आप्त सचिव बिहार पटना,/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री स्वास्थ्य वि0 शि0 प0 क0 एवं देशी चिकित्सा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 550 (पांच सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सचिव बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसें बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों के बीच वितरीत करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:-250(दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों के बीच वितरित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- सभी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अधीक्षक सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य सभी मेडिकल कालेज/सभी सिविल सर्जन/अधीक्षक, सभी सदर अस्पताल/स्टेट लेप्रोसी आफीसर, स्वास्थ्य भवन, पटना/निदेश टी0 बी0 डी0 सी0 पटना, दरभंगा/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवायें/मुख्य मलेरिया पदाधिकारी बिहार, पटना/सहायक निदेशक फाइलेरिया को सूचनार्थ।

25/2/08

सरकार के अपर आयुक्त

809(14)
06/07/09

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक जुलाई,2009

विषय– राज्य के बिहार विधान मंडल के सदस्य पूर्व सदस्य की चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2008 में संशोधन के संबंध में।

सं० सं० 14/विविध–06/2006(खण्ड–II)विविध स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 228(14) द्वारा निर्गत विधान मंडल के सदस्य /पूर्व सदस्य चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2008 के संबंध में माननीय सभापती बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में विचार हुआ कि उक्त नियमावली के नियम–8 को विलोपित कर विधान मंडल के सदस्य /पूर्व सदस्य को बहिर्वासी चिकित्सा में भी वही सुविधा उपलब्ध करायी जाय जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियो को उपलब्ध है।

अतः सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2008 जो स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना सं० 228(14) दिनांक 25.02.2008 में संशोधन करते हुये नियम–8 को विलोपित किया जाता है।परिणामस्वरुप विधान मंडल के सदस्य /पूर्व सदस्य को देय बहिर्वासी चिकित्सा की सुविधा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारीयों के समरुप होगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राज्य के असाधारण गजट के अगले अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मानू प्रताप ...)
प्रधान सचिव

ज्ञाप सं० 809(14) दिनांक 6.7.09

प्रतिलिपिः– अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2. इसकी 3000(तीन हजार) प्रतिया स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रधान सचिव

ज्ञाप सं० 809(14) दिनांक 6/7/09

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञाप सं० 809(14) दिनांक 6.7.05

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव बिहार, पटना/सचिव विधि विभाग बिहार पटना /प्रधान सचिव वित्त विभाग पटना/सचिव बिहार विधान सभा पटना/ सचिव बिहार विधान परिषद पटना/ प्रधान सचिव मंत्री मंडल सचिवालय बिहार,पटना/सचिव संसदीय कार्य विभाग बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय बिहार, पटना/विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री के आप्त सचिव बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव बिहार, पटना/ आप्त सचिव , मंत्री स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– 550(पांच सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सचिव बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों में बीच वितरीत करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि– 250(दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों के बीच वितरीत करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि– सभी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अधीक्षक सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल /प्रचार्य सभी मेडिकल कालेज/सभी सिविल सर्जन/अधीक्षक, सभी सदर अस्पताल /स्टेट लेप्रासी ऑफीसर, स्वास्थ्य भवन पटना/निदेश टी० बी० सी० पटना, दरभंगा/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवायें मुख्य लेप्रोसिया पदाधिकारी बिहार, पटना /सहायक निदेशक फाइलेरिया को सूचनार्थ।

प्रधान सचि०

सं0 सं0 14/विविध–9/2015

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में मार्गदर्शन/दिशा निर्देश ।

राज्य के सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति/अनुमति में विभिन्न प्रकार की कठिनाईया आ रही है, जिससे सरकारी कर्मियों एवं उनके आश्रितों को ससमय चिकित्सा सुविधा प्राप्ति मे कठिनाईयों एवं अनावश्यक विलम्ब का सामना करना पड़ता है । कई परिस्थितियों में सरकारी कर्मियों द्वारा विभागीय जटिलताओं के कारण प्रतिपूर्ति का दावा छोड़ देना भी पड़ रहा है । सरकारी कर्मियों एवं विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जटिलताओं को दूर करने हेतु बार–बार अनुरोध पत्र प्राप्त हुए है ।

उक्त इन्हीं कठिनाईयों को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जटिलताओं को दूर करने हेतु संकल्पित है ।

2. इस निमित्त माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति का सुझाव/अनुशंसा एवं सम्यक विचारोपरान्त राज्य के कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु निम्न प्रावधान किये गये है :–

3. (क) विधान मंडल के पूर्व एवं वर्त्तमान सदस्य / अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी एवं राज्य कर्मी को राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर के सरकारी /सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अस्पताल मे चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी । बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0–14/विविध–38/2006–1079(14), दिनांक 07 अगस्त, 2007 के उपरान्त जो भी स्पष्टीकरण (Clarification) बिना सरकार की अनुमति से निर्गत है उन्हें एतद् द्वारा विलोपित किया जायेगा ।

(ख) राज्य से बाहर एवं अंदर गैर सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त अस्पतालों मे चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में सी0जी0एच0एस0 दर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी ।

4. **अन्तर्वासी चिकित्सा हेतु कमरा शुल्क निम्नवत होगा :–**

(i) **ग्रेड–पे – 8700/– एवं इसके उपर के कर्मियों को प्राइवेट रूम का खर्च देय होगा ।** यह सुविधा विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य को भी उपलब्ध रहेगी ।

(ii) ग्रेड पे – 6600/– से ग्रेड पे – 8700/– तक के कर्मियों को सेमी प्राईवेट रूम का खर्च देय होगा ।

(iii) ग्रेड पे – 6600/– के नीचे के कर्मियों को जेनरल वार्ड का खर्च देय होगा ।

(iv) आई०सी०यू० चिकित्सा के मामले में सभी कर्मियों को बेड चार्ज के व्यय की कुल राशि अनुमान्य होगी ।

(v) जहाँ बेड का कैटेगराइजेशन उपलब्ध नहीं हो तो सभी ग्रेड पे के कर्मियों हेतु सी०जी०एच०एस०, मार्गदर्शिका/दर के अनुरूप मान्य होगा ।

(vi) किसी भी परिस्थिति में डिलक्स/सेमी डिलक्स रूम का चार्ज देय नहीं होगा ।

5. राज्य के बाहर बिना पूर्वानुमति के बाध्यकारी परिस्थिति में कराये गये इलाज की घटनोत्तर स्वीकृति बिहार उपचार नियमावली के नियम–26 के अन्तर्गत संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव प्रदान करेंगे ।

6. राज्यकर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति पूर्व के प्रावधानों को संशोधित करते हुए निम्नवत होगी :–

(i)	50 हजार रू० तक –	संबंधित सिविल सर्जन के द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी द्वारा ।
(ii)	50 हजार रू० से उपर 5 लाख रू० तक –	संबंधित मेडिकल कॉलेज/ अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के विभागीय सचिव/ प्रधान सचिव द्वारा ।
(iii)	5 लाख से उपर –	वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा ।

(iv) विधान मंडल के पूर्व एवं वर्त्तमान सदस्य तथा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी को आउटडोर चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने की स्थिति में किया जा सकेगा ।

(v) 5 लाख रू० तक चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा तथा इससे उपर की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा दी जायेगी ।

7. (i) दंत चिकित्सा (Tooth extraction, RCT, Tooth implantation) पर हुए सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति कंडिका–3 के अनुरूप होगी, परंतु कास्मेटिक चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं होगी ।

(ii) पेसमेकर Implantation, नेत्र (लेंस इम्पलान्ट) तथा कॉकलीयर इम्पलान्ट संबंधी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति कंडिका–3 के अनुरूप की जायेगी ।

8. सरल प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र (प्रपत्र) एवं संबंधित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षकों को जिला/प्रमंडलवार चिकित्सा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु अलग से मार्गदर्शिका प्रशासी विभाग द्वारा जारी किया जायेगा ।

9. पूर्व निर्गत संकल्प, परिपत्र एवं आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

10. यह संकल्प निर्गत होने वाली तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

ह0/–
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक

प्रतिलिपि–अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 946(14) पटना, दिनांक 14/8/15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन नई दिल्ली/आई. जी. आई. सी. पटना/जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\rajesh kumar\sankalp\latest Medical Rules Cabinet note.doc

संoसंo–14/विविध–05/2021 1462 (14) 16.08.2021
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः–राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–946(14), दिनांक–14.08.2015 में निहित प्रावधान के तहत् राज्य के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए रू0 5,00,000/– (पाँच लाख) की सीमा तक के व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की शक्ति विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को प्रदत्त है। रूपये 5,00,000/– (पाँच लाख) से ऊपर की राशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में वित्त विभागीय सहमति के उपरांत प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा स्वीकृति का प्रावधान है।

2. उक्त प्रावधान लगभग पाँच वर्ष पूर्व का है, जिसमें वर्तमान की परिस्थितियों को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के त्वरित निष्पादन हेतु चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए पूर्व के प्रावधानों में निम्नरूपेण संशोधन किए जाते हैं :–

(i)	रू0 50 हजार तक	संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी द्वारा।
(ii)	रू0 50,001 (रू0 पचास हजार एक) से रू0 10 लाख (रू0 दस लाख) तक	संबंधित मेडिकल कॉलेज/अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।
(iii)	रू0 10 लाख (रू0 दस लाख) से ऊपर	वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।

3. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 946(14), दिनांक–14.08.2015 की कंडिका–6 को इस हद तक संशोधित माना जाएगा। संकल्प की शेष तथ्य पूर्ववत् रहेगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
16/8/21
(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव

D/W/Saniath Pradeep

ज्ञापांक –14/विविध –05/2021 1462 (14) /स्वा०, पटना, दिनांक– 16·09·2021

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई०गजट, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/9/21

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –14/विविध -05/2021 1462 (14) स्वा०, पटना, दिनांक– 16·09·2021

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सभी विभाग/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/प्राचार्य सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/आई०जी०आई०सी०, पटना/लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

16/9/21

सरकार के संयुक्त सचिव

चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र

1. बिहार विधान मंडल सदस्य/पूर्व सदस्य का नाम –
2. बिहार विधान मंडल के सदस्य/ पूर्व सदस्य से संबंध –
3. रोग/बीमारी का नाम –
4. चिकित्सा कराये गये सरकारी/सी०जी०एच०एस० से
   मान्यता प्राप्त/अन्य अस्पताल का नाम –
5. चिकित्सा की अवधि तथा चिकित्सा कराने की प्रकृति–
   (क) अंतर्वासी चिकित्सा – दिनांक ..... से दिनांक ..... तक
   (ख) बहिर्वासी चिकित्सा – दिनांक ..... से दिनांक ..... तक
6. राज्य के बाहर चिकित्सा कराने हेतु सक्षम प्राधिकार की
   अनुशंसा है या नहीं, संस्थान/पद नाम –
7. सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा कराने की स्वीकृति (अनुमति)/
   घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है या नही –
8. चिकित्सा में हुए कुल व्यय राशि –

चिकित्सारत संस्थान के अधीक्षक/निदेशक
का हस्ताक्षर एवं मुहर

नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

मानक प्रारूप-I

समेकित व्यय विवरणी :-

Sl.No.	Vouchers No.	Voucher's date	Amount	Page No.
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

नियंत्री पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर :

(उप सचिव से न्यून नहीं हो)

मानक प्रारूप–II (चिकित्सा प्रतिपूर्ति)

बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य/उनके आश्रित की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी प्रस्ताव पर विचार हेतु वांछित सूचना प्रेषित किये जाने हेतु मार्ग दर्शिका :–

1. प्रशासी विभाग का नाम :–
2. माननीय सदस्य/पूर्व सदस्य का नाम :–
3. माननीय सदस्य स्वयं बीमार न हों तो उनके आश्रित परिवार के बीमार का नाम एवं संबंध :–
4. रोग का नाम :–
5. चिकित्सा कराये गये चिकित्सक/निजी अस्पताल/सरकारी अस्पताल/सी0ए0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पताल का नाम :–
6. चिकित्सा की अवधि तथा चिकित्सा कराने की प्रकृति
   (क) अंतर्वासी – कब से कब तक
   (ख) बहिर्वासी – कब से कब तक :–
7. रेफर करनेवाले विशेषज्ञ चिकित्सक (प्रोफेसर कोटि से अन्यून्य)/ अस्पताल/चिकित्सा संस्थान का नाम :–
8. राज्य के बाहर चिकित्सा कराये जाने संबंधी सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नहीं। यदि है तो पृ0सं0 अंकित करें :–
9. यदि नहीं प्राप्त है, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा की घटनोत्तर स्वीकृति/अनुमति प्राप्त है या नहीं ? (पृ0 अंकित करें) :–
10. राज्य के बाहर सक्षम चिकित्सा प्राधिकार द्वारा रेफर मान्यता प्राप्त अस्पताल में ईलाज कराया गया है या उससे अलग।
11. यदि अलग कराया गया है तो उसका कारण एवं घटनोत्तर स्वीकृति (पृ0 अंकित करें) :–
12. क्या रोगी हृदय रोग से ग्रसित है।
13. यदि हृदय रोग से ग्रसित है तो हृदय में लगाये गये उपकरण का नाम :–
14. डिस्चार्ज समरी का मूल प्रमाण–पत्र सक्षम चिकित्सक के हस्ताक्षर/मुहर के साथ है अथवा नहीं। यदि है तो कृपया पृ0 का उल्लेख करें :–
15. चिकित्सक/हॉस्पिटल द्वारा अनुशंसित राशि मानक प्रारूप I में Voucher No., Date, राशि एवं पृ0 सं0 सहित उल्लेख है अथवा नहीं :–

16. क्रय किये गये औषधियों/जांच से संबंधित अभिश्रव/विपत्र संबंधित संस्थान के चिकित्सक के द्वारा मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित है या नहीं :–

17. प्रतिपूर्त्ति प्रमाण–पत्र अस्पताल/संस्थान के अधीक्षक/निदेशक द्वारा मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित है या नहीं :–

18. क्या चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति का दावा चिकित्सक द्वारा अनुशंसित जांच/दवा का ही किया गया है :–

19. यदि नहीं तो अतिरिक्त दवाओं को छोड़कर चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति का प्रस्ताव है अथवा नहीं :–

20. अलग–अलग पैथोलॉजिकल जांच का विपत्र सदवार है अथवा नहीं :–

21. ऑपरेशन एवं अन्य मामले में उपयोग की गयी दवाओं से संबंधित विपत्र उनके मूल्य के साथ अलग–अलग है अथवा नहीं :–

नियंत्री पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर।
(उप सचिव से अन्यून नहीं हो)